

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 14, गुरुवार, शाके 1948- जून 04, 2026 Jyaistha 14, Thursday, Saka 1948- June 04, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जून 04, 2026

जी.एस.आर.16 :-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 285 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 285 के परंतुक में, विद्यमान खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खंड (iv) और (v) जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

“(iv) 8 जून, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी की वरिष्ठता सूची, भर्ती एजेंसी से प्राप्त योग्यता सूची के आधार पर तैयार की जायेगी और अनुकंपात्मक आधार पर 8 जून, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी के मामले में, वरिष्ठता उनके पदग्रहण की तारीख के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(v) ग्राम विकास अधिकारी की वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर रखी जायेगी।”

[सं.एफ.4(09)अमेंड/रूल/लीगल/पीआर/2026/37]

राज्यपाल के आदेश से,

भारत, भूषण गेयल,
उप-शासन सचिव।

**DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)**

**NOTIFICATION
Jaipur, June 04, 2026**

G.S.R.16 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 285.-In proviso to rule 285 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, after the existing clause (iii), the following new clause (iv) and (v) shall be added, namely: -

"(iv) that seniority list of the Gram Vikas Adhikari, appointed on or after 8 June, 2016, shall be prepared on the basis of merit list received from the recruiting agency and in case of the Gram Vikas Adhikari appointed on or after 8 June, 2016 on compassionate ground, seniority shall be determined on the basis of date of their joining.

(v) that seniority list of the Gram Vikas Adhikari shall be maintained at the State Level."

[NO.F.4(09) Amend / Rule / Legal/PR/2026/37]

By order of the Governor,

Bharat Bhushan Goyal ,

Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.